# अध्याय I : भूमिका

## 1.1 प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन रक्षा मंत्रालय और इसके निम्नलिखित संगठनों में वित्तीय लेन-देन के अनुपालन लेखापरीक्षा में उठे मामलों से संबंधित हैः-

- थलसेना;
- अन्तर्सेवा संगठन;
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और प्राथमिक रूप से थलसेना और आयुध फैक्ट्रियों को समर्पित उसकी प्रयोगशालाएं;
- रक्षा लेखा विभाग और
- आयुध फैक्ट्रियां ।

अनुपालन लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित संगठनों के व्यय, प्राप्ति, परिसम्पत्तियों और उत्तरदायित्वों के लेन-देन से संबंधित जाँच की ओर ध्यान आकृष्ट करवाती है जिससे यह पता लग सके कि भारत के संविधान, लागू नियमों, अधिनियमों और सक्षम पदाधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है ।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उददेश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को विधानमंडल के ध्यान में लाना है । लेखापरीक्षा मानकों के लिए आवश्यक है कि रिर्पोटिंग के विषय का स्तर लेन-देन की मात्रा और विस्तार के अनुरूप होना चाहिए । लेखापरीक्षा की जाँच के परिणाम से अपेक्षा है कि कार्यकारिणी उपचारात्मक कार्यवाही से ऐसी नीति और निर्देश बनाए जिससे संगठनों के वित्तीय प्रबंधन को सुधारा जा सके, इस प्रकार अच्छे प्रबंधन और उन्नत सामरिक तैयारी करने में सहायता मिलेगी ।

इस अध्याय में लेखापरीक्षा की योजना और विस्तार की व्याख्या के अतिरिक्त विशिष्ट लेखापरीक्षा आपत्तियों का सारांश है इसके पश्चात उपरोक्त संगठनों के व्ययों पर संक्षिप्त विश्लेषण दिया गया है । तद्नुपरांत अध्यायो में मंत्रालय और उपरोक्त संगठनों की अनुपालन लेखापरीक्षा से निकली विस्तृत उपलब्धियां और आपत्तियां प्रस्तुत है ।

## 1.2 लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा

रक्षा मंत्रालय शीर्ष स्तर पर रक्षा संबंधी सभी मामलों पर नीति निर्देश बनाता है । यह चार विभागों में विभाजित है, जैसे रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, अनुसंधान एवं विकास विभाग और पूर्व सैनिक कल्याण विभाग । प्रत्येक विभाग का मुखिया एक सचिव होता है । रक्षा सचिव जो कि रक्षा विभाग का मुखिया होता है, अन्य विभागों के कार्यकलापों के साथ भी समन्वय करता है ।

थलसेना का प्राथमिक उत्तरदायित्व बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा और देश की प्रादेशिक अखंडता की सुरक्षा करना है । यह प्राकृतिक आपदाओं और आंतरिक अशान्ति के समय भी

सिविल प्राधिकारियों की मदद करती है । इसलिए थलसेना के लिए आवश्यक है कि वह उचित तरीके से सज्जित, आधुनिक हो और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित करे ।

डीआरडीओ की प्राथमिकता अपनी प्रयोगशालाओं की श्रृंखला के माध्यम से भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता वृद्धि हेतु अनुसंधान एवं विकास करना है । यह वैमानिकी, शस्त्र, युद्धक वाहनों, इलेक्ट्रानिक, उपकरण, अभियांत्रिकी प्रणाली, मिसाइलों, सामग्री, नौसेना प्रणाली, उन्नत कम्प्युटिंग, अनुरूपण और जीवन विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास का कार्य करता है।

अन्तर्सेवा संगठन जैसे सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं, सैन्य इंजीनियरी सेवाएं (एम.ई.एस.), रक्षा संपदा, गुणवत्ता आश्वासन इत्यादि रक्षा बलों के तीन संभागों थलसेना, नौसेना और वायुसेना के सेवार्थ है । ये सामान्य संसाधनों के विकास एवं रखरखाव के लिए इष्टत्तम लागत-प्रभावी सेवाएं देने के लिए उत्तरदायी हैं । ये सीधे रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं ।

आयुध फैक्ट्री बोर्ड (ओ.एफ.बी.) रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करता है, जिसका प्रमुख महानिदेशक, आयुध सेवाएं होता है उनतालिस आयुध फैक्ट्रियां सैन्य बलों के लिए आयुध भंडार के उत्पादन और उसकी आपूर्ति के लिए उत्तरदायी है ।

## 1.3 एकीकृत वित्तीय सलाह एवं नियंत्रण

रक्षा मंत्रालय और सैन्य सेवाओं की एक पूर्ण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है । रक्षा मंत्रालय में पूर्ण एकीकृत वित्त विभाग के साथ सचिव (रक्षा वित्त) और उनके अधिकारीगण लोक निधि से हुए व्यय से संबंधित सभी प्रस्तावों की जांच करते हैं । सचिव (रक्षा वित्त) रक्षा मंत्रालय और सैन्य सेवाओं को सभी स्तरों पर वित्तीय सलाह प्रदान करने और रक्षा व्यय के राजकोषीय नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी है।

रक्षा सेवाओं के मुख्य लेखांकन अधिकारी होने के नाते सचिव (रक्षा वित्त) रक्षा व्यय की आंतरिक लेखापरीक्षा व लेखांकन हेतु भी उत्तरदायी है । यह दायित्व रक्षा लेखा विभाग, जिसका मुखिया महानियंत्रक रक्षा लेखा होता है, के माध्यम से सम्पन्न किया जाता है ।

## 1.4 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

हमारे लेखापरीक्षा का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तो) अधिनियम 1971 से लिया गया है । हम सी.ए.जी. (डी.पी.सी.) अधिनियम के सेक्शन **13**[1] के अंतर्गत भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की लेखापरीक्षा करते हैं । प्रमुख छावनी बोर्ड इस अधिनियम के सेक्शन 14[2] के अंतर्गत लेखापरीक्षित किए जाते हैं । अनुपालन लेखापरीक्षा के नियम और प्रणालियां "लेखापरीक्षा और लेखा अधिनियम, 2007" में निहित है

[1] (i) भारत की समेकित निधि से हुए सभी व्यय (ii) आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखों से संबंधित लेन-देन (iii) सभी व्यापार, उत्पादन, लाभ एवं हानि लेखों और तुलन-पत्रों एवं अन्य सहायक लेखों की लेखापरीक्षा।

[2] भारत की समेकित निधि या किसी भी राज्य या किसी भी संघ शासित प्रदेश द्वारा निकायों या प्राधिकारियों जो बडी मात्रा में अनुदान या ऋण के द्वारा वित्त प्राप्त करते हैं, के प्राप्ति एवं व्ययों की लेखापरीक्षा

## 1.5 लेखापरीक्षा नियोजन एवं संचालन

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया पूरे संगठन के जोखिम के मूल्यांकन और प्रत्येक यूनिट पर किए गए व्यय, कार्यकलाप की समीक्षा और जटिलता, दी गई वित्तीय शक्तियों का स्तर, संपूर्ण आंतरिक नियंत्रण और स्टेकहोल्डर के बारे में मूल्यांकन से प्रारंभ होती है । पूर्व लेखापरीक्षा निष्कर्षों को भी ध्यान में रखा जाता है । जोखिम मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृति और सीमा पर निर्णय लिया जाता है । लेखापरीक्षा करने के लिए एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम मूल्यांकन के आधार पर बनाई जाती है ।

प्रत्येक यूनिट की लेखापरीक्षा समाप्त होने के पश्चात उसके परिणाम स्थानीय नमूना लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एल.टी.ए.आर.) के माध्यम से यूनिट प्रमुख को जारी किए जाते हैं। यूनिटों से लेखापरीक्षा जांच परिणाम का उत्तर एल.टी.ए.आर. प्राप्त होने के एक माह के भीतर देने का अनुरोध किया जाता है । जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा टिप्पणियां या तो निपटा दी जाती हैं अथवा अनुपालन हेतु आगे कार्यवाही की सलाह प्रदान कर दी जाती है । इन एल.टी.ए.आर. में से महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए तैयार किया जाता है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है । 2011-12 के दौरान 11670[3] लेखापरीक्षा-दिवस लगाकर 626[4] यूनिटों/फारमेशनों की लेखापरीक्षा की गई थी । हमारी लेखापरीक्षा योजना में यह सुनिश्चित किया गया है कि सबसे महत्वपूर्ण यूनिटों/फार्मेशनो, जिनमें जोखिम की संभावना ज्यादा हो, को उपलब्ध श्रमशक्ति संसाधनों द्वारा कवर किया गया है ।

## 1.6 महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियाँ

जहाँ तक रक्षा क्षेत्र की लेखापरीक्षा का संबंध है, रक्षा मंत्रालय तथा सेवा संगठनों द्वारा की जाने वाली पूंजीगत और राजस्व अधिप्राप्तियाँ महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाते हैं। लेखापरीक्षा अपने पुराने प्रतिवेदनों में अधिप्राप्ति प्रक्रिया की कमियों को इंगित करता रहा है एवं रक्षा मंत्रालय ने निहित प्रक्रिया में सुधार के लिए कई प्रकार के उपाय किये हैं। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डी.पी.पी.) एवं रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल (डी.पी.एम.) का आवधिक पुनरीक्षण बेहतर कार्यप्रणाली को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण कदम हैं।

वर्तमान प्रतिवेदन में उन मामलों को उजागर किया है जोकि परिचालन संबंधी तैयारी में उनके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण माने गये हैं। रक्षा भूमि का गलत प्रबंधन, सविंदा का खराब प्रबंधन, संविदाकारों अस्वीकार्य भुगतान करना, निम्न स्तर के भंडारों की अधिप्राप्ति, अधिक भुगतान आदि से संबंधित मामलों को भी यह प्रतिवेदन उजागर करता हैं, जिनक तुरंत समाधान करने की आवश्यकता हैं।

डी आर डी ओ ने अधिप्राप्ति प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए सेना से आदेश की प्रत्याशा में ₹ 52.58 करोड़ रूपये की लागत पर एक महत्वपूर्ण संघटक की अधिप्राप्ति की जिसके फलस्वरूप ₹ 34.70 करोड़ के सरकारी धन का अवरोधन हुआ। ( पैराग्राफ 5.3 )

---

[3] कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, नई दिल्ली और कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (आयुध फैक्ट्रियां) कोलकाता द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान उपयोग किए गए पार्टी-दिवसों की संख्या

[4] कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा नई दिल्ली और कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (आयुध फैक्ट्रियां) कोलकाता द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षा की गई यूनिटों/फोर्मेशनों की संख्या

सेना मुख्यालय/केन्द्रीय आयुध डिपो दिल्ली छावनी ने ₹ 21.32 करोड़ की लागत में अल्प अनुरक्षण से युक्त 37957 बैटरियों की अधिप्राप्ति की जिनके पुनरावेषण के लिए आवश्यक भण्डारण प्रक्रिया एवं प्रर्याप्त संसाधन हेतु नियंत्रक डिपो को संवेदनशील नहीं किया गया। परिणामस्वरूप 6993 बैटरियों के समयापूर्व दोषपूर्ण/ अप्रयोज्य होने के कारण ₹ 4.18 करोड़ की हानि हुई ( पैराग्राफ 3.3)

सेना मुख्यालय वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान टायर एवं एकीकृत फील्ड शैल्टरों की खरीद में परिवहन नमूने को कार्यान्वित करने में विफल रहा क्योकि आपूर्तिकर्त्ता द्वारा ऐसी इकाइयों को सीधे प्रेषित करने की बजाए केन्द्रीय आयुध डिपो मुंबई द्वारा विभिन्न यूनिटों को पुनः प्रेषण के कारण वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान ₹ 5.45 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। ( पैराग्राफ 3.4)

रक्षा निर्माण कार्य प्रक्रिया -2007 के प्रावधानों का उल्लघंन करते हुए मध्य,पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम कमानों में तीन मुख्य अभियंताओं ने संविदाओं में वृद्वि खण्ड को सम्मिल्लित किया जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹1.39 करोड़ का अस्वीकार्य भुगतान किया।(पैराग्राफ 4.4)

सेना मुख्यालय फर्म की क्षमता का सत्यापन एवं प्रतिदर्श के लिए निर्धारित प्रक्रिया को लागू करने में विफल रहा और एक अपंजीकृत एवं अनुभवहीन फर्म से ₹ 2.54 करोड़ मूल्य के मास्क फेस एक्सट्रीम कोल्ड वैदर (मास्क) की आपूर्ति हेतु सविंदा स्वीकृत की। इस प्रकार खरीदे हुए मास्क निम्न स्तरीय पाये गए। (पैराग्राफ 3.1)

रक्षा मंत्रालय ने परीक्षण- दल की सिफारिशों को दरकिनार करते हुए ₹ 9083.36 करोड़ मूल्य के वातानुकूलकों के बिना टैंक एक्स की खरीद के लिए संविदाएँ की। तथापि रक्षा मंत्रालय ने वातानुकूलकों की आवश्यकताओं को तत्काल स्वीकार किया। वातानुकूलकों की खरीद अभी तक बाकी है। (पैराग्राफ 2.3 )

मुख्य अभियंता उधमपुर मण्डल द्वारा मीटर संस्थापित न करने के कारण जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विभाग ने सैन्य अभियंता सेवाओं से आंकलित खपत पर आवश्यकता से अधिक मूल्य वसूला जिसके फलस्वरूप मार्च 2008 से नवम्बर 2012 के बीच ₹ 8.04 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ जो कि परिहार्य था।(पैराग्राफ 4.3 )

आयुध फैक्ट्रीयों के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा एक संघटक की खरीद पर अतिरिक्त परिहार्य व्यय, विनियम दर भिन्नता को स्वीकृत करते हुए विदेशी फर्म को अनुचित लाभ पहुँचाना, खाली खोखों की अस्वीकृति के कारण हानि एवं परिणामस्वरूप तालिकाओं का अवरूद्ध होना, अपर्याप्त गुणवत्ता नियत्रंण के फलस्वरूप 7.62 मि.मी. पीतल के कपों और गोला-बारूद प्रयोगात्मक नमूने की अनुमति के बिना थोक निर्माण की बचत से तालिकओं का अवरूद्ध होना और लेखापरीक्षा के कहने पर वसूली पर टिप्पणी की। इसके अतिरिक्त आयुध निर्माणियों की 2011-12 की कार्य शैली के सामान्य निष्पादन के बारे में भी टिप्पणी की गई है।

## 1.7 रक्षा संपदा प्रबन्धन में निरन्तर अनियमितता

रक्षा सेवाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विभिन्न प्रतिवेदनों में, रक्षा संपदा प्रबंधन पर 2010-11 के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 35 समेत रक्षा भूमि के खराब प्रबंधन के मामले उजागर किये गये हैं। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में रक्षा संपदा के

असंतोषजनक प्रबंधन के उदाहरणों पर बार-बार बल दिए जाने के बावजूद इसमें कोई महत्वपूर्ण सुधार नही हुआ। स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों द्वारा रक्षा भूमि का दुरूपयोग, समय पर पटटे का नवीनीकरण न करने के कारण पूर्व- पट्टेदारों द्वारा भूमि का अनधिकृत अधिभोग और इससे राजस्व की हानि तथा रक्षा आवास का अनधिकृत प्रयोग आदि से संबधित मामले निरंतर चलते रहे, यथा इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 2.1 एवं 3.6 में दिये गये है। इस संबंध में शीघ्रातिशीघ्र सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है।

## 1.8 लेखापरीक्षा ड्राफ्ट पैराग्राफों पर मंत्रालय/विभाग की प्रतिक्रिया

लोक लेखा समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने सभी मंत्रालयों को जून 1960 में लेखापरीक्षा ड्राफ्ट पैराग्राफों जोकि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में रखने के लिए नामांकित किये गये हैं, पर अपनी प्रतिक्रिया छः सप्ताह के अन्दर भेजने के निर्देश दिये थे।

ड्राफ्ट पैराग्राफ, संबंधित मंत्रालय/विभागों के सचिवों का ध्यान लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर खींचते हुए एवं अपनी प्रतिक्रिया छः सप्ताह के भीतर भेजने की प्रार्थना के साथ अग्रेषित कर दिया जाता है। इसे उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है क्योंकि इन पैराग्राफों को भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों जो कि संसद में प्रस्तुत किये जाते हैं, में शामिल किये जाने की संभावना होती है, अतः इस पर उनकी टिप्पणियों को शामिल करना वांछनीय होगा।

ड्राफ्ट पैराग्राफ जोकि इस प्रतिवेदन में रखने के लिए प्रस्तावित किये गये थे, दिसम्बर 2012 और जुलाई 2013 के बीच संबंधित सचिवों को व्यक्तिगत तौर पर संबोधित पत्रों द्वारा अग्रेषित किए गए थे।

रक्षा मंत्रालय ने अध्याय II से V तक के 19 पैरा में से 12 पैरा के उत्तर नहीं भेजे। रक्षा मंत्रालय ने इस प्रतिवेदन के अध्याय VI में शामिल 8 पैरा में से 7 पैरा (नवम्बर 2013) के उत्तर नहीं भेजे। तथापि, थलसेना मुख्यालय और आयुध फैक्ट्री बोर्ड की प्रतिक्रिया, जहाँ कहीं भी प्राप्त हुई, उन्हें उपयुक्त प्रकार से अध्याय II से VI के पैरा में शामिल कर दिया गया है।

## 1.9 पूर्व के लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर की गयी कार्यवाही

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किये गये सभी मामलों पर कार्यकारी अधिकारी की जवाबदेहिता लागू करने के लिए लोक लेखा समिति की इच्छा थी कि 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के बाद के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित सभी पैराग्राफों पर की गयी कार्यवाही टिप्पणी (ए.टी.एन.) लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत प्रकार से जाँच करने के बाद संसद में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के चार माह के भीतर उन्हें प्रस्तुत कर दिया जाएं।

नवम्बर 2013 तक थलसेना से संबंधित की गयी कार्यवाही टिप्पणी की समीक्षा इंगित करती है कि मार्च 2011 को समाप्त वर्ष तक के 89 पैराग्राफों पर की गयी कार्यवाही टिप्पणी बकाया थी जिनमें से 13 पैराग्राफों के संबंध में मंत्रालय ने अभी तक प्रारम्भिक की गयी कार्यवाही टिप्पणी भी प्रस्तुत नहीं की थी जैसाकि **परिशिष्ट-I** में दिखाया गया है, एवं 28 की गयी कार्यवाही टिप्पणियाँ 10 वर्षों से अधिक समय से बकाया है।

## 1.10 वित्तीय पहलू/बजटीय प्रबंधन

### *1.10.1 भूमिका*

रक्षा मंत्रालय का बजटीय आवटंन अनुदानों की आठ मांगों के अधीन समविष्ट है, जिसमें छः अनुदान रक्षा सेवाओं के अनुमानों (डी एस ई ) के अधीन और दो सिविल अनुदानों के अधीन सम्मिलित है।

- दो सिविल अनुदान जिसमें मांग संख्या 20, रक्षा सेवाएं (सिविल)एवं मांग संख्या 21- रक्षा पेंशन सम्मिलित हैं।
- रक्षा मंत्रालय के छः अनुदान निम्नवत् हैः

  मांग संख्या 22 रक्षा सेवाएं-थलसेना

  मांग संख्या 23 रक्षा सेवाएं-नौ सेना

  मांग संख्या 24 रक्षा सेवाएं- वायु सेना

  मांग संख्या 25 रक्षा आयुध निर्माणियां

  मांग संख्या 26 रक्षा सेवाएं, अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी )

  मांग संख्या 27 रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय - इसमें रक्षा मंत्रालय (सिविल )के अनुदानों हेतु मांगो के अंतर्गत आनेवाली को छोड़कर सभी सेवाएं और विभाग समाविष्ट हैं।
- सीमा सड़क संगठन के लिए बजटीय आवश्यकताओं का प्रावधान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

उपरोक्त अनुदानों को मोटे तौर पर राजस्व तथा पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

- ❖ **राजस्व व्ययः** इसमें वेतन एवं भत्ते,परिवहन , राजस्व भंडार (जैसे आयुध भंडार, आयुध निर्माणियों से आपूर्तियां, राशन, पेट्रोल, तेल व स्नेहक,पूर्जे आदि ),राजस्व निर्माण कार्य (जिसमें भवनों का रखरखाव, जल और विद्युत प्रभार, किराये,दर एवं कर आदि ) पर किया गया व्यय तथा विविध व्यय शामिल है।
- ❖ **पूंजीगत व्ययः** इसमें भूमि, नए हथियार और गोलाबारूद का अधिग्रहण, सेवाओं का आधुनिकरण, निर्माण कार्य, संयंत्र एवं मशीनरी, उपस्कर, टैंक, नौसैनिक पोत, वायुयान और एरो इंजन, गोदीबाडे, आदि पर किए गए व्यय आने हैं।

अनुदान के लिए विभिन्न मांगो के अंतर्गत सकल व्यय प्रावधान हेतु संसद[5] की स्वीकृति प्राप्त की जाती है। छः मांगों, अर्थात मांग संख्या 22 से 27 तक के लिए रक्षा सेवाओं पर किए गए शुद्व व्यय तक पहुँचने हेतु सकल व्यय से प्राप्तियों एवं वसूलियों जिसमें अधिशेष/ अप्रचलित भंडारों का विक्रय लाभ, राज्य सरकारों/ अन्य मंत्रालयों आदि को प्रदत्त सेवाओं के कारण प्राप्तियां जैसी मदें सम्मिलित है, तथा अन्य फुटकर मदों को घटाया जाता है।

### *1.10.2 अनुदान संख्या 20 रक्षा मंत्रालय का सिविल व्यय*

मांग संख्या 20 के अंतर्गत वर्ष 2011-12 के लिए बजटीय प्रावधान तथा राजस्व और पूंजीगत व्यय समेत वास्तविक व्यय नीचे तालिका -1 में दर्शाया गया हैः

[5] स्रोतः स्टैडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की रिर्पोट संख्या 20

**तालिका -1 बजटीय आबंटन और वास्तविक व्ययः रक्षा मंत्रालय (सिविल)**

*(₹ करोड़ में)*

| बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | वास्तविक व्यय |
|---|---|---|
| **13156.81** | 15072.84 | 14920.10 |

वर्ष 2011-12 के लिए ₹13296.32 करोड़ के सकल राजस्व व्यय के प्रमुख घटक कैन्टीन भंडार विभाग (सी एस डी)(₹10322.32 करोड़), रक्षा लेखा विभाग (₹953.92 करोड़) , तटरक्षक संगठन (सी जी ओ) (₹ 925.84 करोड़), रक्षा संपदा संगठन (डी ई ओ) (₹159.94करोड़), जम्मू और कश्मीर लाइट इंफन्ट्री (जे एंड के एल आई)(₹733.82करोड़), आदि है। संशोधित अनुमान 2011-12 में ₹ 1623.78 करोड़ के पूंजीगत परिव्यय में मुख्य आबंटन अन्य वित्तीय सेवाओं सीमाशुल्क विभाग (₹1575.38 करोड़), गृह एवं कार्यालय भवन (₹35.44 करोड़), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (₹4.00 करोड़), सी एस डी द्वारा यूनिट संचालित कैन्टीनों के लिए विविध ऋण (₹ 2.32 करोड़) , के लिए पूंजीगत परिव्यय हैं।

### *1.10.3 अनुदान संख्या 21- रक्षा पेंशन*

रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत रक्षा पेंशन विभाग तीनों सेवाओं अर्थात थलसेना, नौसेना एवं वायुसेना के सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों (रक्षा असैनिक कर्मचारी सहित )तथा आयुध निर्माणियों के कर्मचारियों आदि के संबंध में पेंशनी प्रभारों का प्रावधान करता है। वह सेवा पेंशन, उपदान, परिवार पेंशन, विकलांगता पेंशन, पेंशन का परिणत मूल्य, छुट्टी का नकदीकरण आदि का भुगतान करता है।

इस अनुदान के अंतर्गत वर्ष 2011-12 के लिए बजटीय आबंटन और व्यय की स्थिति निम्नवत है:

**तालिका-2 बजटीय आवटंन एवं वास्तविक व्यय रक्षा पेंशन**

*(₹ करोड़ में)*

| बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | वास्तविक व्यय |
|---|---|---|
| **34000** | 34000 | 37568.56 |

## 1.11 अनुदान संख्या 22 से 27 तक - रक्षा सेवाओं के अनुमान

### *1.11.1 सरसरी दृष्टि से*

2007 -08 से 2011-12 की अवधि के लिए कुल रक्षा बजट, आंवटन और वास्तविक व्यय (दत्तमत और भारित )तालिका-3 एवं चार्ट -1 में निम्नवत दर्शाया गया है:

**तालिका-3 कुल रक्षा बजट आंवटन तथा वास्तविक व्यय**

*(₹ करोड़ में)*

| वर्ष | बजट प्रावधान | वास्तविक व्यय |
|---|---|---|
| **2007-08** | 99868.16 | 95094.29 |
| **2008-09** | 125414.04 | 118006.03 |
| **2009-10** | 148499.26 | 145781.04 |
| **2010-11** | 156126.83 | 158723.20 |
| **2011-12** | 178891.06 | 175897.94 |

**चार्ट -1 बजट प्रावधान बनाम वास्तविक व्यय**

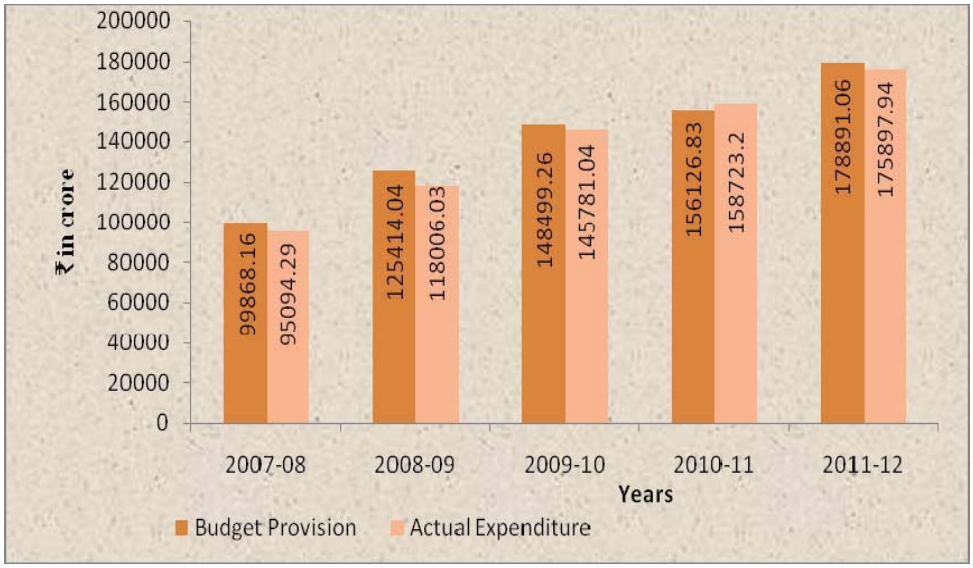


- वास्तविक रक्षा संबंधी आंकड़ा 2007-08 और 2011-12 की अवधि के दौरान 84.97 प्रतिशत की कुल वृद्वि दर्शाता है, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 में वृद्वि 11 प्रतिशत है।

### *1.11.2 रक्षा सेवाओं में राजस्व व्यय बनाम पूंजीगत व्यय*

2007-08 से 2011-12 की अवधि के लिए पूँजीगत और राजस्व व्यय (दत्तमत) नीचे चार्ट-2 में दर्शाया गया है

**चार्ट -2 राजस्व व्यय बनाम पूंजीगत व्यय**

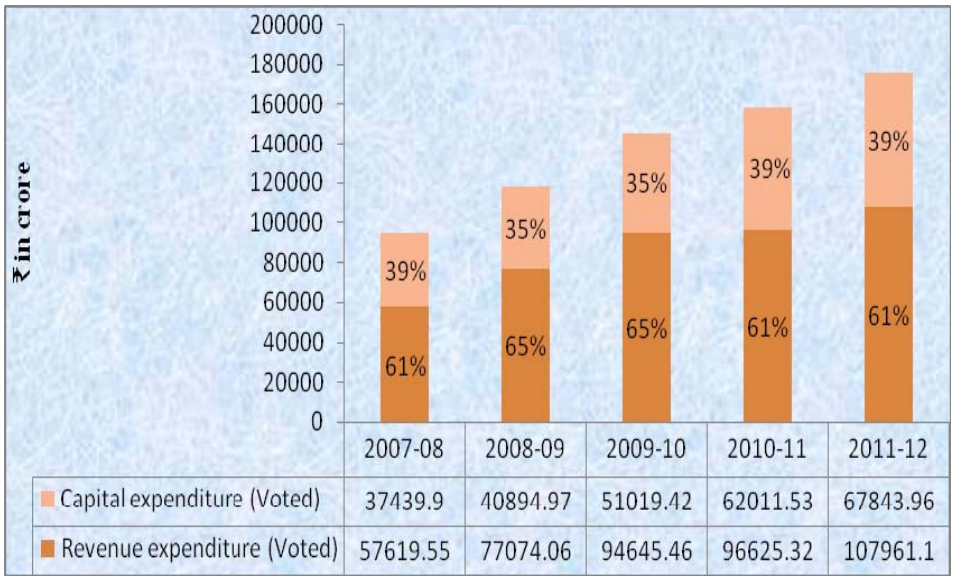


| | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital expenditure (Voted) | 37439.9 | 40894.97 | 51019.42 | 62011.53 | 67843.96 |
| Revenue expenditure (Voted) | 57619.55 | 77074.06 | 94645.46 | 96625.32 | 107961.1 |

उपर्युक्त आंकड़ा दर्शाता है कि कुल रक्षा व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय का अनुपात 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान 35 से 39 प्रतिशत के बीच रहा है।

## 1.12 थलसेना, आयुध निर्माणियां और अनुसंधान एवं विकास (पूंजीगत एवं राजस्व ) से संबंधित व्यय (दत्तमत ) का ब्यौरा - अनुदान संख्या 22,25,26,और 27[6]

2007-08 से 2011-12 की अवधि के लिए थल सेना, आयुध निर्माणियां और आर एंड डी से संबंधित राजस्व और पूंजीगत व्यय को दर्शानेवाला व्यय,(दत्तमत ) का विस्तृत विश्लेषण नीचे तालिका -4 में दर्शाया गया है:

**तालिका -4 थलसेना, आयुध निर्माणियां और आर एंड डी का व्यय (दत्तमत )**

*(₹ करोड़ में)*

| अनुदान का विवरण | व्यय का घटक | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **थलसेना** | वास्तविक | 47393.09 | 59663.53 | 77512.29 | 80789.82 | 86776.05 |
| | राजस्व | 35481.29 (74.87%) | 49052.51 (82.22%) | 62716.64 (80.91%) | 65001.96 (80.46%) | 71832.66 (82.78%) |
| | पूंजीगत | 11911.80 (25.13%) | 10611.02 (17.78%) | 14795.65 (19.09%) | 15787.86 (19.54%) | 14943.39 (17.22%) |
| **आयुध निर्माणी** | वास्तविक | 1424.15 | 3309.13 | 3520.27 | 1527.00 | 1704.15 |
| | राजस्व | 1274.14 (89.47%) | 2957.00 (89.36%) | 3279.98 (93.17%) | 1073.42 (70.30%) | 1427.94 (83.79%) |
| | पूंजीगत | 150.01 (10.53%) | 352.13 (10.64%) | 240.29 (6.83%) | 453.58 (29.70%) | 276.21 (16.21%) |
| **आर एंड डी** | वास्तविक | 6137.13 | 7730.66 | 8507.87 | 10191.99 | 9932.29 |
| | राजस्व | 3190.61 (51.99%) | 3873.55 (50.11%) | 4355.57 (51.20%) | 5230.88 (51.32%) | 5321.24 (53.58%) |
| | पूंजीगत | 2946.52 (48.01%) | 3857.11 (49.89%) | 4152.30 (48.81%) | 4961.11 (48.68%) | 4611.05 (46.43%) |

टिप्पणीः कोष्ठकों में दिया हुआ अंक राजस्व/पूंजीगत व्यय को वास्तविक व्यय की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत करता है।

- 2011-12 के दौरान थलसेना के कुल व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 7.41 प्रतिशत की वृद्वि हुई है, जिसमें पूंजीगत व्यय में 5.35 प्रतिशत की कमी और राजस्व व्यय में 10.50 प्रतिशत की वृद्वि हुई।
- 2011-12 दौरान आयुध निर्माणियों के कुल व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 11.60 प्रतिशत की वृद्वि हुई है, जिसमें पूंजीगत व्यय में 39.10 प्रतिशत की कमी और राजस्व व्यय में 33.02 प्रतिशत की वृद्वि हुई।
- 2011-12 के दौरान आर एंड डी के कुल व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 2.55 प्रतिशत की कमी हुई है, जिसमें पूंजीगत व्यय में 7.06 प्रतिशत की कमी और राजस्व व्यय में 1.73 प्रतिशत की वृद्वि हुई।

### *1.12.1 थलसेना के कुल व्यय का विश्लेषण -पूंजीगत और राजस्व*

2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान वास्तविक व्यय के अनुपात के रूप में थल सेना के कुल व्यय दोनों पूंजीगत और राजस्व की प्रवृत्ति नीचे चार्ट -3 में दर्शायी गई है:

[6] अनुदान संख्या 23-नौसेना एवं अनुदान संख्या-24-वायुसेना-का विश्लेषण संघ सरकार (रक्षा सेवाएं )वायु सेना एवं नौसेना के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित होता है।

**चार्ट-3 थलसेना का कुल व्यय- पूंजीगत और राजस्व**

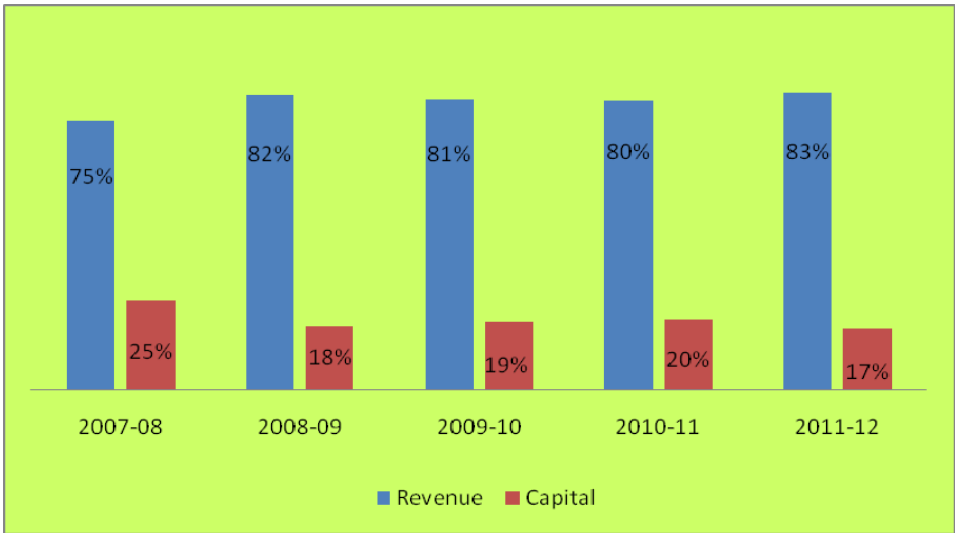


उपरोक्त चार्ट दर्शाता है कि कुल थलसेना व्यय के राजस्व घटक में 2007-08 में 75 प्रतिशत से 2011-12 में 83 प्रतिशत तक, 2007-08 से 2011-12 के दौरान 8 प्रतिशत की वृद्वि हुई है, जबकि पूंजीगत घटक में उसी अवधि के दौरान 25 प्रतिशत (2007-08 ) से 17 प्रतिशत (2011-12 ) में तदनरूप कमी हुई है।

### 1.12.2 आयुध निर्माणी के व्यय का विश्लेषण - पूंजीगत और राजस्व

2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान वास्तविक व्यय के अनुपात के रूप में आयुध निर्माणी के कुल व्यय दोनों पूंजीगत और राजस्व की प्रवृत्ति नीचे चार्ट-4 में दर्शायी गई हैः

**चार्ट -4 आयुध निर्माणी का कुल व्यय - पूंजीगत और राजस्व**

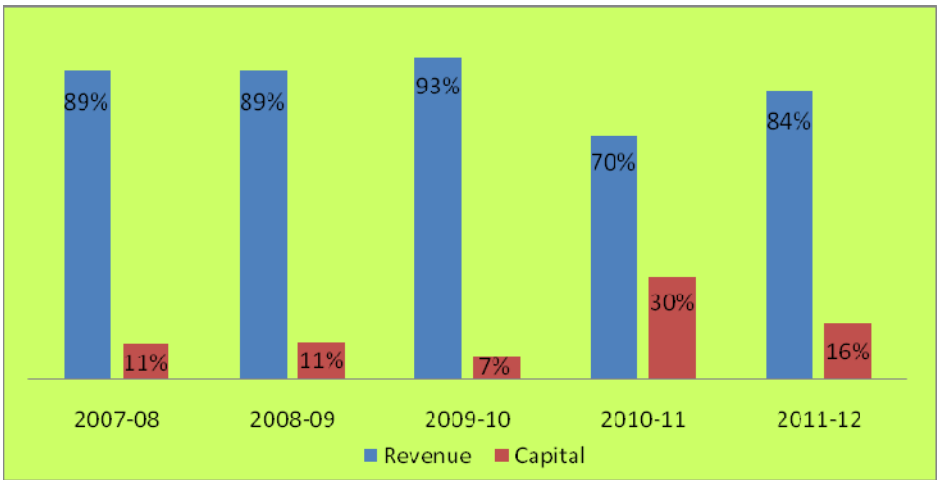


चार्ट -4 दर्शाता है कि कुल आयुध निर्माणी व्यय के राजस्व घटक में 2007-08 में 89 प्रतिशत से 2011-12 में 84 प्रतिशत तक, 2007-08 से 2011-12 के दौरान 5 प्रतिशत की कमी हुई है, जबकि व्यय के पूंजीगत घटक में 11 प्रतिशत से 16 प्रतिशत तक प्रतिशतता में तदनुरूप वृद्वि हुई ।

### *1.12.3 अनुसंधान एवं विकास व्यय का विश्लेषण -पूंजीगत और राजस्व*

2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान वास्तविक व्यय के अनुपात के रूप में अनुसंधान एवं विकास के कुल व्यय दोनों पूजीगत और राजस्व की प्रवृत्ति नीचे चार्ट -5 में दर्शायी गई है:

**चार्ट -5 आर एंड डी का कुल व्यय -पूंजीगत और राजस्व**

*(₹ करोड़ में)*

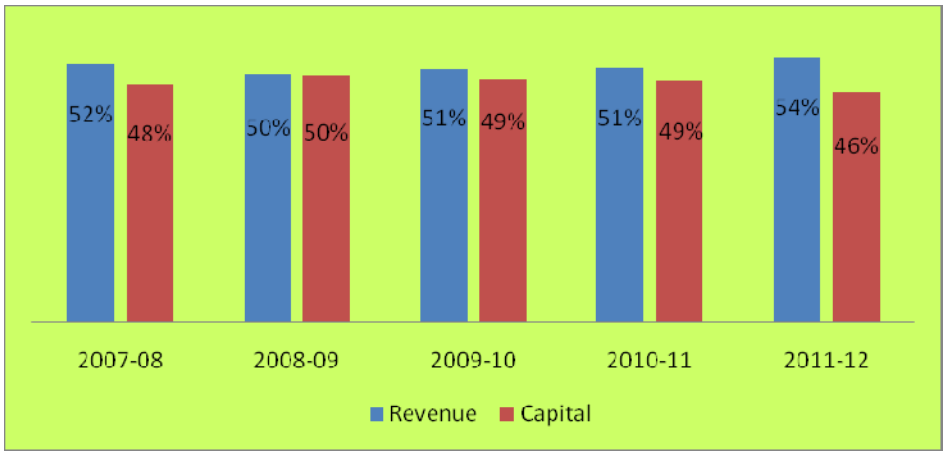


चार्ट-5 दर्शाता है कि आर एंड डी पर किए गए राजस्व व्यय में 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान 2007-08 में 52 प्रतिशत से 2011-12 में 54 प्रतिशत तक 2 प्रतिशत की वृद्वि हुई है, जबकि पूंजीगत घटक में 48 प्रतिशत से 46 प्रतिशत में समान रूप में कमी हुई है।

## 1.13 राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों का विश्लेषण

### *1.13.1 थलसेना (दत्तमत)*

2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान अधिकतम राजस्व व्यय थलसेना के छः लघु शीर्षो (एम एच ) के अंतर्गत किया गया था, यथा नीचे तालिका -5 और चार्ट -6 में दर्शाया गया है:

**तालिका -5 थलसेना के राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों का विवरण**

*(₹ करोड़ में)*

| वर्ष | वेतन एवं भत्ते (लघु शीर्ष-101 एवं 103) | भंडार (लघु शीर्ष-110) | निर्माण कार्य (लघु शीर्ष-111) | राष्ट्रीय राइफल्स (लघु शीर्ष-112) | असैनिकों के वेतन एवं भत्ते (लघु शीर्ष-104) | अन्य व्यय (लघु शीर्ष-800) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2007-08** | 15147.14 | 9488.60 | 3648.24 | 1603.25 | 1604.54 | 1165.81 |
| **2008-09** | 24656.04 | 10712.51 | 4282.97 | 2419.72 | 2353.11 | 1370.11 |
| **2009-10** | 36896.23 | 9404.65 | 4608.34 | 3047.58 | 3132.27 | 1380.31 |
| **2010-11** | 35445.39 | 12144.48 | 5308.35 | 3098.71 | 3051.42 | 1475.79 |
| **2011-12** | 39996.27 | 12442.20 | 5708.68 | 3585.38 | 3361.21 | 1644.18 |

**चार्ट -6 थलसेना के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक**

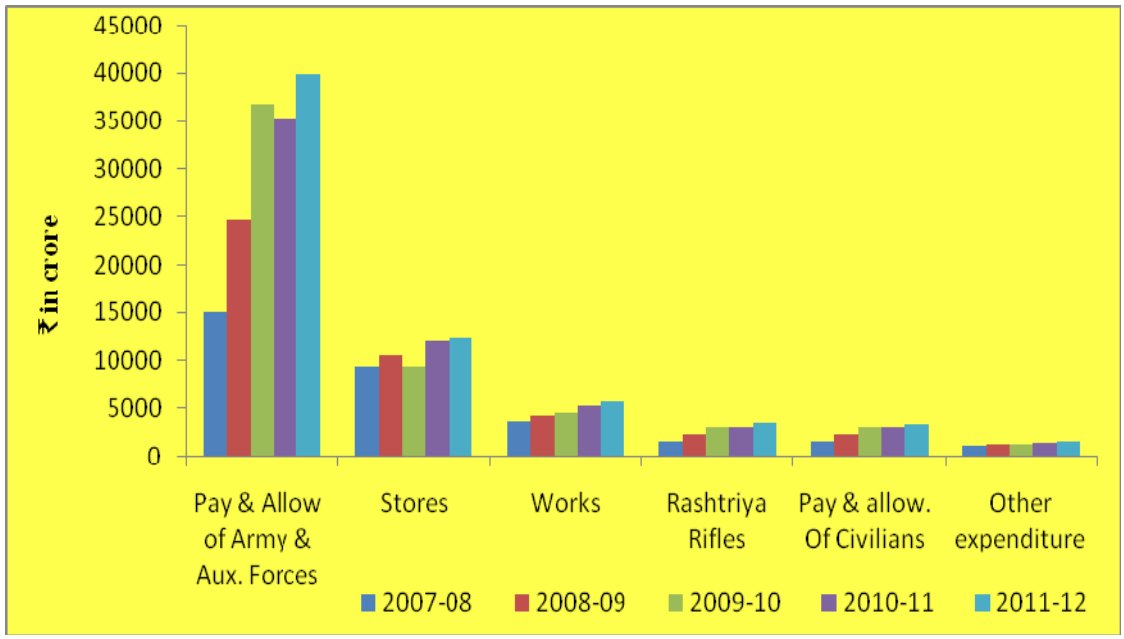


- **व्यय में 100 *प्रतिशत* से अधिक की वृद्धि** : 2007-08 से 2011-12 के दौरान थलसेना और सहायक सेनाओं के वेतन एवं भत्ते, असैनिकों के वेतन एवं भत्ते और राष्ट्रीय राइफल्स से संबंधित व्यय के लघु शीर्षो के अंतर्गत क्रमशः 164.05 प्रतिशत , 109.48 प्रतिशत और 113.6 प्रतिशत के हिसाब 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।

### *1.13.2 आयुध निर्माणियां*

2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान अधिकतम राजस्व व्यय, आयुध निर्माणियों के पांच लघु शीर्षो (एम एच ) के अंतर्गत हुआ था, यथा नीचे तालिका- 6 और चार्ट- 7 में दर्शाया गया हैः

**तालिका -6 आयुध निर्माणियों के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक**

*(₹ करोड़ में)*

| वर्ष | भंडार लघु शीर्ष 110 | निर्माण लघु शीर्ष 054 | अन्य व्यय लघु शीर्ष 800 | नवीनीकरण एवं आरक्षित निधि (आर एवं आर ) लघु शीर्ष -797 | नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन लघु शीर्ष -106 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2007-08** | 4012.06 | 1985.14 | 445.76 | 230.0000 | 237.50 |
| **2008-09** | 4948.22 | 2858.54 | 483.05 | 271.0000 | 276.22 |
| **2009-10** | 5965.16 | 3566.03 | 506.74 | 280.0000 | 228.24 |
| **2010-11** | 5704.96 | 3499.75 | 582.66 | 600.0000 | 207.82 |
| **2011-12** | 6101.41 | 4415.33 | 649.75 | 325.0000 | 310.25 |

**चार्ट -7 आयुध निर्माणियों के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक**

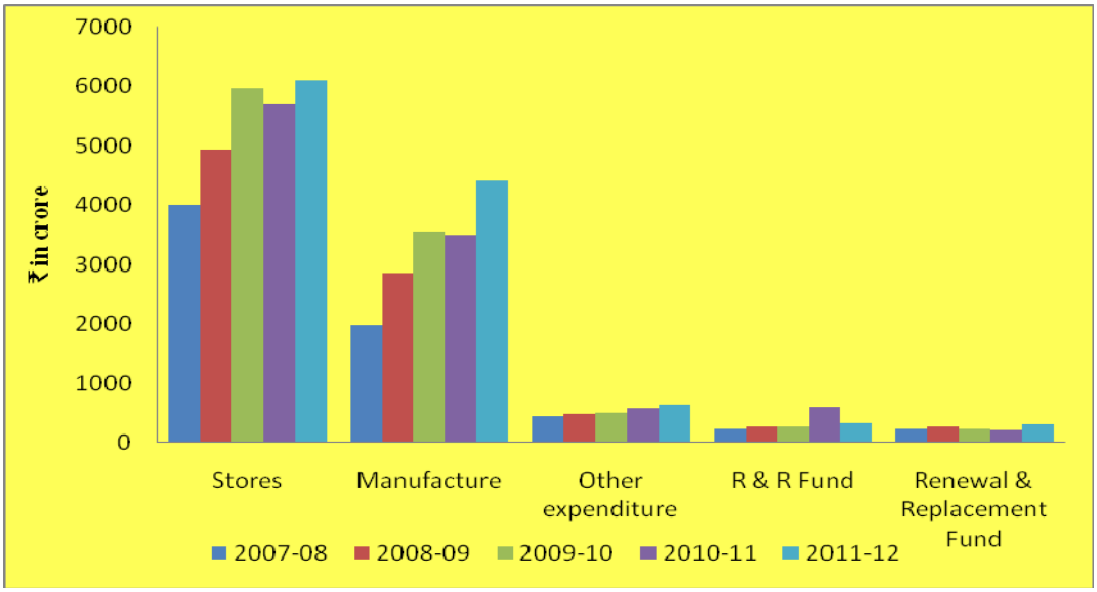


- **व्यय में 100 *प्रतिशत* से अधिक की वृद्धिः** 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान लघु शीर्ष निर्माण -054 के अंतर्गत 122.41 प्रतिशत की वृद्वि हुई है।
- भंडार, आर एवं आर निधि और नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन लघु शीर्ष के अंतर्गत,व्यय में उसी अवधि के दौरान क्रमशः 52.07 प्रतिशत, 41.30 प्रतिशत और 30.63 प्रतिशत वृद्वि हुई है।

### *1.13.3 अनुसंधान एवं विकास*

2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान अधिकतम राजस्व व्यय अनुसंधान एवं विकास के छः लघु शीर्षो के अंतर्गत हुआ था, यथा नीचे तालिका-7 और चार्ट-8 में दर्शाया गया हैः

**तालिका -7 अनुसंधान एवं विकास के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक**

*(₹ करोड़ में)*

| वर्ष | भंडार लघु शीर्ष-110 | असैनिकों के वेतन एवं भत्ते लघु शीर्ष - 104 | आर एंड डी लघु शीर्ष-004 | निर्माण कार्य लघु शीर्ष-111 | सेवा कार्मिको के वेतन एवं भत्ते लघु शीर्ष - 101 एवं 103 | अन्य व्यय लघु शीर्ष-800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2007-08** | 1301.18 | 661.19 | 677.58 | 325.77 | 83.17 | 68.78 |
| **2008-09** | 1395.99 | 1096.76 | 696.51 | 374.86 | 140.67 | 97.87 |
| **2009-10** | 1453.76 | 1525.66 | 562.81 | 411.80 | 220.34 | 101.31 |
| **2010-11** | 1665.91 | 1409.71 | 1218.25 | 492.17 | 201.61 | 144.02 |
| **2011-12** | 1774.18 | 1534.88 | 983.91 | 543.20 | 198.23 | 167.55 |

**चार्ट -8 अनुसंधान एवं विकास के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक**

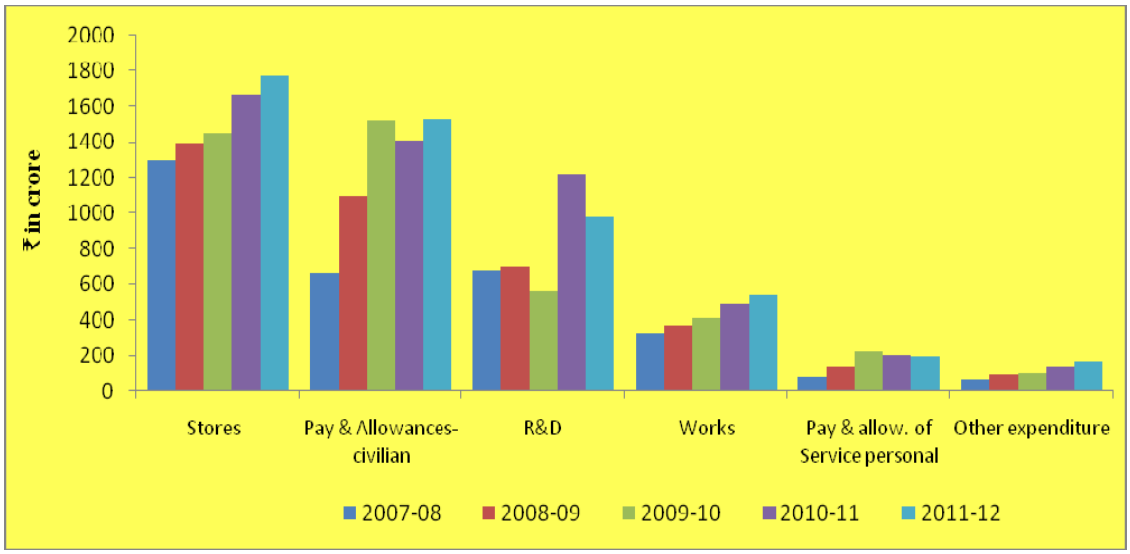


- **पिछले पांच वर्षों के दौरान व्यय में 100 *प्रतिशत* से अधिक की वृद्धिः** 2007-08 से 2011-12 के दौरान असैनिकों के वेतन एवं भत्ते और सेवा कार्मिकों के वेतन एवं भत्ते लघु शीर्षों के अंतर्गत क्रमशः 132.13 प्रतिशत और 138.30 प्रतिशत की वृद्वि हुई है।
- **'अन्य व्यय':** 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान अन्य व्यय में 143.60 प्रतिशत की वृद्वि हुई ।
- 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान निर्माण कार्य, आर एंड डी - 004 और भंडार लघु शीर्ष के अंतर्गत व्यय में, दूसरी ओर, क्रमशः 66.74 प्रतिशत 45.20 प्रतिशत और 36.35 प्रतिशत की अनुरूप वृद्वि दिखाई दी।

## 1.14. पूंजीगत व्यय का विश्लेषण - मुख्य शीर्ष-4076 अनुदान संख्या-27 रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

***1.14.1 पूंजीगत व्यय के घटकः*** इस अनुदान के अंतर्गत आठ उप मुख्य शीर्ष है,उप मुख्य शीर्ष -01-थलसेना, उप मुख्य शीर्ष-02- नौसेना, उप मुख्य शीर्ष-03 वायु सेना, उप मुख्य शीर्ष-04- आयुध निर्माणियां, उप मुख्य शीर्ष 05- आर एडं डी , उप मुख्य शीर्ष-06 निरीक्षण संगठन, उप मुख्य शीर्ष-07- विशेष धातु एवं उत्तम मिश्रधातु परियोजनाएं तथा उप मुख्य शीर्ष -08 प्रौद्योगिकी विकास।

### *1.14.2 थलसेना, आयुध निर्माणियां और आर एंड डी (दत्तमत) के पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति का विश्लेषण*

2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान थल सेना, आयुध निर्माणियां और आर एंड डी अर्थात् उप मुख्य शीर्ष-01, 04 और 05 के पूंजीगत व्यय का ब्यौरा नीचे तालिका -8 में दर्शाया गया हैः

**तालिका -8 कुल पूंजीगत व्यय (रक्षा सेवाए) बनाम थलसेना,आयुध निर्माणियां और आर एंड डी**

*(₹ करोड़ में)*

| वर्ष | कुल पूंजीगत परिव्यय | थलसेना का पूंजीगत व्यय | आयुध निर्माणियों का पूंजीगत व्यय | आर एंड डी का पूंजीगत व्यय |
|---|---|---|---|---|
| **2007-08** | 37439.90 | 11911.80 | 150.01 | 2946.52 |
| **2008-09** | 40894.97 | 10611.02 | 352.13 | 3857.11 |
| **2009-10** | 51019.42 | 14795.65 | 240.29 | 4152.30 |
| **2010-11** | 62011.53 | 15787.86 | 453.58 | 4961.11 |
| **2011-12** | 67843.96 | 14943.39 | 276.21 | 4611.05 |

- **रक्षा सेवाओं का कुल पूंजीगत व्ययः** 2007-08 से 2011-12 के दौरान रक्षा सेवाओं के कुल पूंजीगत व्यय में 81.21 प्रतिशत की कुल वृद्वि हुई है। इसकी तुलना में थलसेना, आयुध निर्माणियां और आर एंड डी के पूंजीगत व्यय में घटक-वार वृद्वि क्रमशः 25.25 प्रतिशत, 84.13 प्रतिशत और 56.49 प्रतिशत थी।

- **थलसेना का पूंजीगत व्ययः** रक्षा सेवाओं के कुल पूंजीगत व्यय के प्रति थलसेना के पूंजीगत व्यय घटक में 2007-08 में 31.82 प्रतिशत से 2011-12 में 22.03 प्रतिशत तक 10 प्रतिशत की कमी हुई। 2011-12 के दौरान रक्षा सेवाओं के पूंजीगत व्यय में 9.4 प्रतिशत की वृद्वि के बावजूद थल सेना के पूंजीगत व्यय में पूर्व के वर्ष की तुलना में 5.35 प्रतिशत की कमी हुई है।

- **आयुध निर्माणी का पूंजीगत व्ययः** 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान आयुध निर्माणी के पूंजीगत व्यय में कुल पूंजीगत व्यय के एक घटक के रूप में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। यह 2007-08 में कुल पूंजीगत व्यय के 0.40 प्रतिशत से 2011-12 में 0.41 प्रतिशत में बढ़ा है। पूर्व के वर्ष की तुलना में आयुध निर्माणी के पूंजीगत व्यय में 2011-12 में 39 प्रतिशत की कमी दिखाई दी।

- **आर एंड डी का पूंजीगत व्ययः** कुल पूंजीगत व्यय की तुलना में आर एंड डी के पूंजीगत व्यय में लगभग 1 प्रतिशत, अर्थात 7.87 प्रतिशत (2007-08 ) से 6.80 प्रतिशत (2011-12 )में मामूली कमी दिखाई दी। पूर्व के वर्ष की तुलना में आर एंड डी का पूंजीगत व्यय 7.06 प्रतिशत कम हुआ है।

### *1.14.3 पूंजीगत व्यय (दत्तमत ) में बचत/ आधिक्य की प्रवृत्ति*

2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय में बचत और 'आधिक्य'की प्रवृत्ति नीचे तालिका-9 में दर्शायी गई हैः

**तालिका -9 पूंजीगत व्यय में बचत/ आधिक्य की प्रवृत्ति**

*(₹ करोड़ में)*

| वर्ष | कुल अनुदान (दत्तमत) | कुल व्यय | कुल पूंजीगत अनुदान के अधीन | |
|---|---|---|---|---|
| | | | बचत( - ) | आधिक्य(+ ) |
| **2007-08** | 41857.60 | 37439.91 | 4417.69 (10.55% ) | - |
| **2008-09** | 47976.10 | 40894.98 | 7081.12 (14.76% ) | - |
| **2009-10** | 54779.62 | 51019.42 | 3760.20 (6.86% ) | - |
| **2010-11** | 60776.21 | 62011.52 | - | 1235.31 (2.03% ) |
| **2011-12** | 69148.01 | 67843.97 | 1304.04 (1.89%) | - |

**टिप्पणीः** कोष्ठकों में दिया हुआ अंक बचत ( -)/ आधिक्य (+ )को कुल अनुदान (दत्तमत) की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत करता है।

- उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान वर्ष 2010-11 को छोड़कर लगातार 'बचतें' हुई थी, जब 2.03 प्रतिशत का 'अधिक्य' था। इस अवधि के दौरान 'बचतें' 14.76 *प्रतिशत* और 1.89 *प्रतिशत* के बीच रही है।

- वर्ष 2011-12 के दौरान हुई रूपए 1304.04 करोड़ की बचत वित्तीय वर्ष 2011-12 कें अंतिम कार्य दिवस में समर्पण की गयी ₹ 3105.71 करोड़ (4.49 *प्रतिशत* ) की निधियों के अतिरिक्त है।